न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 319/2018

अपीलांट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. **खेताराम पुत्र कानाराम** 2. **उम्मेदाराम पुत्र कानाराम** 3. **साजनराम पुत्र कानाराम** (जातियान जाट, निवासीगण गिलाडिया तलां, तह0 रामसर जिला बाडमेर)		1. **हनुमानराम पुत्र सोनाराम** 2. **सुराराम पुत्र सोनाराम** 3. **उदाराम पुत्र सोनाराम** 4. **हीराराम पुत्र सोनाराम** 5. **मिरगो देवी पत्नी सोनाराम** 6. **काछबाराम पुत्र दुर्गाराम** 7. **शेराराम पुत्र दानाराम** 8. **पूनमाराम पुत्र लाखाराम** 9. **धीराराम पुत्र कस्तुराराम** 10. **खेताराम पुत्र नरसिंगाराम** (जातियान जाट, निवासीगण गिलाडिया तलां, तह0 रामसर, जिला बाडमेर) 11. **नेमाराम पुत्र देदाराम** (जाति मेघवाल, निवासी गिलाडिया तलां, तह0 रामसर, जिला बाडमेर) 12. **तहसीलदार रामसर, (बाडमेर)**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी रामसर, प्रकरण संख्या 647/2017 दिनांक 22.02.2018

उपस्थित–

1. श्री रोशनलाल, वकील अपीलांट्स
2. श्री एम0एल0खत्री, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 5
3. रेस्पो0 सं0 6 से 11 बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित
4. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 12

निर्णय

दिनांक 01.04.2024

प्रस्तुत राजस्व अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–रेस्पो0 सं0 1 से 5–हनुमानराम वगैरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर तहसील रामसर स्थित ग्राम गिड़ालिया का तलां के मूल खसरा नम्बर 434 से विभक्त होकर बने अपने खेत खसरा नं0 534/434 रकबा 90 बीघा भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाने हेतु प्रस्तुत किया। उक्त प्रकरण में विप्रार्थी सं0 3 ने काउन्टर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

क्लेम प्रस्तुत कर अपने ख0नं0 533/434 रकबा 137.16 बीघा तथा विप्रार्थी सं0 6 द्वारा अपने ख0नं0 532/534 रकबा 106 बीघा एवं ख0नं0 535/434 रकबा 33 बीघा की पक्की नेखमबंदी करवाने का आग्रह किया गया। विप्रार्थी सं0 1, 2 व 4, 5 बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहने से उपखण्ड अधिकारी द्वारा इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.2.18 द्वारा तहसीलदार रामसर को दोनो पक्षों के सभी प्रार्थी/विप्रार्थीगण की उपस्थिति में प्रार्थी–रेस्पो0 सं0 1 से 5–हनुमानराम वगैरा तथा विप्रार्थी सं0 3 व 6 (शेराराम व खेताराम) के खसरों की पक्की नेखमबंदी/पत्थरगढ़ी की कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आरएलआर की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र तथा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत किया गया। जो न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलांट्स विवादित खसरान के पडौसी ख0नं0 273, 446/277, 448/277, 452/277, 458/281, 517/426 व 522/426 कुल रकबा 131.12 बीघा भूमि के खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–रेस्पो0 ने इन्हें पक्षकार बनाये बिना नेखमबंदी करवाने का प्रा0प0 प्रस्तुत किया गया, जिससे उन्हें सुनवाई का अवसर नही मिला। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0 सं0 1 से 5 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पारित आदेश दिनांक 22.2.18 की पालना में तहसीलदार रामसर द्वारा मौके पर नेखमबंदी की कार्यवाही मय मौका फर्द जरिये पत्र कमांक 2158 दिनांक 29.8.18 द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है। मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 21.6.2017 के अनुसार रेस्पो0 सं0 1 से 5 के खसरा नं0 534/434 का पूर्व में किया गया सीमाज्ञान मौके पर स्वीकार किया गया

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

है। अतः अपीलांट्स को अपनी आपत्ति मौके पर अथवा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। अतः इस स्थिति में अपील खारिज फरमाने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0सं0 12 की ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर द्वारा पारित निर्णय का समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करने का आग्रह किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी–रेस्पा0 सं0 1–5 हनुमानराम वगैरा का आवेदन तथा विप्रार्थी सं0 3 व 6–रेस्पो0 के काउन्टर क्लेम स्वीकार करने से पूर्व तहसीलदार रामसर से रिपोर्ट प्राप्त नही की गई तथा विप्रार्थी सं0 3 व 6 के उल्लेखित खसरान की सीमाज्ञान रिपोर्ट भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नही है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.02.2018 न्यायोचित प्रतीत नही है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.02.2018 निरस्त किया जाता है। साथ ही प्रकरण उपखण्ड अधिकारी रामसर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वादग्रस्त उल्लेखित खसरान का सीमांकन एवं पक्की नेखमबंदी हेतु अपीलांट्स एवं रेस्पो0 तथा अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारान/खातेदारान/सह–खातेदारान को पक्षकार संयोजित कर उनकी सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर, विधिवत तामिली पश्चात, तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर सीमांकन एवं पक्के नेखमबंदी हेतु विधिसम्मतः आदेश पारित करावे।

निर्णय आज दिनांक 01 अप्रेल, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

01.04.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर